by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

21. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-sevicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

> [No. 5/87 (F. No. 27/13/86-Ad.-IC] A. K. SINHA, Desk Officer

वाणिज्य मंद्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1987

सा. का. नि. 169: चाय (संगोधन) नियम, 1986 का एक प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 845, तारीख 22 सितम्बर, 1986 के अधीन भारत के राजपन्न, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 4 अक्तूबर, 1986 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सूझाव मांगें गए थे;

और उक्त राजपन्न, 4 अक्तूबर, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

धभी तक आक्षेप या सुमाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय (संशोधन) नियम, 1987 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
- 2. चाय नियम, 1954 में, नियम 38 में, "ऐसी प्रत्येक संविदा के लिए जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिसमें 3,00,000 रुपये से अधिक व्यय अंतर्वलित है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "ऐसी प्रत्येक संविदा के लिए जिसमें बीस लाख रुपए से अधिक व्यय अंतर्विलत है" रखे जाएंगे।

[फा. सं. के-11012(3)/85-बागान 'क'] अशोक कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd March, 1987

G.S.R. 169.—Whoreas a draft of the Ten (Amendment) Rules, 1986 was published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), in the

Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th October, 1986 in the Ministry of Commerce No. G.S.R. 845, dated the 22nd September, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th October, 1986;

And whereas the objections and suggestions have not been received so far;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 1987.
 - (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tea Rules, 1954, in rule 38, for the words and figures "extends over a period of more than five years or involves expenditure in excess of Rs. 3,00,000", the words "involves expenditure in excess of rupees twenty lakhs" shall be substituted.

[F. No. K-11012(3)|85-Plant 'A'] ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

इस्पात भीर खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1987

सा. का. नि. 170: राष्ट्रपति द्वारा संविधान के धनुष्ठिद 309 के के परन्तुक द्वारा प्रवस्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, सारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग "म" लिपिकोय पर्य) भर्ती नियम, 1983 में श्रीर श्रागे संगाधन करने हुए निस्निलिखत नियम बनाए जाते हैं, यथा:—

- (1) ये नियम भारतीय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग "ग" लिपिकीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 कहलाएंगे।
- (2) ये णासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
 2. भारतीय भूवेजातिक सर्वेक्षण (धर्म "म" विधिकीय पद) भर्ती
 नियम, 1983 की श्रनुसूची में—-
- (1) सहायक के पव से संबंधित कम संख्या 2 के सामने क सम 11 में वर्तमान प्रविद्धि के स्थान पर निम्निनिखित प्रविध्टि रखी आएगी, धर्थात्:—

"उच्च श्रेणी निपिक प्रेड में 5 वर्ष की नियमिन सेवा वाले उच्च श्रेणी निपिकों में से 100% पदोन्नित द्वारा।"

(2) कालम 13 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रकी जायेगी, प्रर्थात् .—

"वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नित समिति में (पदोन्नित एवं स्याईकरण मामलो पर विचार करने हेतु) निम्निलिखित शामिल होंगे:---

- 2. भारतीय पूर्वज्ञानिक सर्वेकण का कोई प्रणासनिक प्रधिकारी-सवस्य
- 3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय प्रथवा क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय, अहां विभागीय पदोस्नित समिति की बैठक होनी है, में स्थित केन्द्र सरकार के किसी प्रक्य विभाग का 1100-1600 र. प्रथवा उससे उत्पर के बैतनमान वाला कोई घाँधकारी।"

[फा. सं. ए-12018/5/85-खान-2] भी. दास गुप्ता, निदेशक